

न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री अंश दीप, आई.ए.एस.

राजस्व विविध : 21/2020

जी.सी.एम.एस. : 2020/00237

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
(भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली

हीराराम पुत्र केसाराम, जाति मेगवाल, निवासी
धनापुरा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम
1970

उपस्थित :- प्रार्थी की ओर से सुरेन्द्र सिंह लबाना

:- निर्णय :-

दिनांक:- 10.11.2021

तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत विरुद्ध अप्रार्थी के उसके हक में दिनांक 8.2.2013 को ग्राम धनापुरा खसरा नंबर 131/352 रकबा 0.32 हैक्टेयर किस्म चाही दोगम जायद दोगम भूमि का आवंटन किया गया जिसे निरस्त कराने हेतु पेश किया है। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं मूल आवंटन रेकॉर्ड मंगवाया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने पर उसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बहस सरकारी पैरोकार सुनी गई।

वक्त बहस सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि अप्रार्थी हीराराम पुत्र केसाराम जाति मेगवाल निवासी धनापुरा तहसील सुमेरपुर को उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा दिनांक 8.2.2013 को ग्राम धनापुरा के खसरा नंबर 131/352 रकबा 0.32 हैक्टेयर किस्म चाही दोगम जायद दोगम भूमि का आवंटन किया गया तथा अप्रार्थी को जरिये नामान्तरकरण संख्या 275 के गैर खातेदार दर्ज किया गया। आवंटनी अथवा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर आदिनांक तक कब्जा काशत नहीं है उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवंटित उपरोक्त आराजी पर तेजसिंह, लादूसिंह, छैलसिंह पिसरान रणजीतसिंह नाम के अन्य व्यक्तियों का कब्जा है। आवंटन के लिए आवेदन पत्र पर नियम 8(1-क) के अनुसार विवाहित कृषक को पति पत्नी दोनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत करना होता है। जबकि प्रार्थी द्वारा अकेले ही आवेदन किया गया है पत्रावली संलग्न नकल गिरदावरी संवत् 2072-76 के अनुसार आवंटित आराजी पर कब्जा नहीं होना स्पष्ट है जबकि खातेदारी अधिकार प्राप्त करने बाबत नियम 18(4) के अनुसार आवंटनी को प्रथम वर्ष के 50 प्रतिशत भूमि पर तथा दूसरे वर्ष में शेष क्षेत्र की भूमि पर भी काशत करनी होती है जो नहीं की गई है इस लिए आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटनी को कब्जा 1 माह में नहीं देने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष कब्जा प्राप्ति हेतु आवेदन करना चाहिए था जो वक्त आवंटन सन् 2013 से आज तक नहीं किया गया है अतः आवंटनी को किया गया उक्त आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया आवंटनी ने दिनांक 8.2.2013 को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के तहत किया गया था उक्त आवंटन ग्राम धनापुरा पटवार हल्का बामनेरा के खसरा नंबर 131/352 रकबा 0.32 हैक्टेयर किस्म चाही दोगम व जायद दोगम भूमि का आवंटन किया गया था उक्त आराजी पर आवंटनी अप्रार्थी का आदिनांक कब्जा काशत नहीं है जो पत्रावली संलग्न नकल गिरदावरी से स्पष्ट है उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा काशत होना बताया है। तथा आवंटनी को प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि पर काशत करनी होती है तथा शेष भूमि पर द्वितीय वर्ष में करनी होती है लेकिन गिरदावरी अनुसार भूमि पड़त है आवंटनी का कब्जा काशत आदिनांक तक नहीं है आवंटनी को आवंटन के एक माह में कब्जा प्राप्ति करना होता है अगर कब्जा नहीं दिया गया तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 1 माह के बाद प्रार्थना पत्र कब्जा प्राप्ति हेतु पेश करना था जो नहीं किया गया है इस प्रकार आवंटित आराजी पर आवंटनी द्वारा कब्जा काशत एवं कृषि नहीं कर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने से आवंटन निरस्त किया जाना विधिसम्मत है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार सुमेरपुर का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है आवंटनी अप्रार्थी हीराराम पुत्र केसाराम मेगवाल निवासी धनापुरा तहसील सुमेरपुर के पक्ष में दिनांक 8.2.2013 को ग्राम धनापुरा पटवार हल्का बामनेरा के खसरा नंबर 131/352 रकबा 0.32 हैक्टेयर किस्म चाही दोगम एवं जायद दोगम भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा किया गया उसे निरस्त किया जाता है एवं आराजी को पुनः राज्य सरकार के हक में सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)

जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

